भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1171

उत्तर देने की तारीखः 29.07.2021

ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा हेतु सहायता

1171. श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने ऑनलाइन और दूरस्थ अधिगम के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और प्रबोधन हेतु पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो आज की तारीख तक वितरित निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा संबंधी वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में सुधार की आवश्यकता के संबंध में आकलन करवाया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया को नया रूप देने के लिए कोई निर्देश तैयार किए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया था, यह **"एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार"** के लिए एक ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। कुल 30 राज्यों और 8 स्वायत्त संगठनों ने 11 भाषाओं में निष्ठा पर अपने पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। अब तक निष्ठा पर 5,17,25,114 (पांच करोड़ सत्रह लाख पच्चीस हजार एक सौ चौदह) नामांकन हुए हैं, जिनमें से 4,61,75,725 (चार करोड़ इकसठ लाख पचहत्तर हजार सात सौ पच्चीस) पाठ्यक्रम पूरे कर लिए गए हैं और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

निष्ठा को दिए गए लिंक से एक्सेस किया जा सकता है: https://itpd.ncert.gov.in//

समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए संवितरित धनराशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	स्वीकृत		प्रगति		प्रगति का %	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2018-19	3139876	84091.34	1577332	34287.95	50.24	40.77
2019-20	4945727	146299.241	3295181	66301.78	66.63	45.32
2020-21*	2678996	26791.46	1194103	5636.38	44.57	21.04

स्रोत: प्रबंध

** वर्ष 2020-21 के लिए फरवरी 2021 तक की प्रगति*

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा और इसके नुकसान के वर्तमान/भविष्यवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। पैरा 24.1 और 24.2 मौजूदा डिजिटल विभाजन की वास्तविकता और सभी को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे कैसे अनुकूलित और विस्तारित किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करता है और पैरा 24.4 डिजिटल टूल्स/समाधानों (वर्चुअल लैब्स, डिजिटल कोष, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन परीक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग आदि) का उपयोग करके शिक्षण और अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली पहलों पर केंद्रित है।

(ङ) और (च) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र सरकार शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए हस्तक्षेप के संबंध में दिशा-निर्देशों और बैठक के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सलाह दे रही है। अब तक जारी दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

- डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशानिर्देश:
https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf
- सतत रूप से सीखने के लिए अधिगम में वृद्धि के दिशानिर्देश:
https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Learning_%20Enhancement_Guidelines.pdf
- स्कूली शिक्षा के लिए कोविड कार्य योजना: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 4 मई, 2021 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कोविड कार्य योजना साझा की है।

****